

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

—: आज्ञा :-

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध, स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़ते हुए, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से 28 सितम्बर, 2016 तक इस शर्त के साथ हटाया जाता है कि स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु कार्य ग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी।

यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों पर भी लागू होगा।



(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

मानक वितरण।